न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 9/2019

श्री इन्द्रजीत सिंह प्लाट नं0 12 लाजवंती भवन सिविल लाईन पहाडिया टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला–टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 25.4.2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोक को दिनांक 27–2–2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी कि पुलिस विभाग टोंक से प्राप्त धारा 107, 116 इस्तगासा नम्बर 139/17 की नकल जो कि उनवानी राजू माली वगैरह है, आपके यहॉ पेश की गई थी सूचना मय पत्रावली दी जाए प्रकरण सरकार बनाम राजू माली वगैरह जिसमें 5 मुल्जिम हे की फाइल गुम हो जाने पर की गई कार्यवाही की सूचना तथा जॉच के आदेश की नकल की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिप भी दिये जाने हेतु निवेदन किया।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक के विरूद्व दिनांक 25–3–2019 को अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 300 दिनांक 11–4–2019 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 1199 दिनांक 23–4–2019 से जवाब प्रेषित किया है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक में 139/2017 पर राजू माली वगैरह नाम से कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना पाया गया है तथा आवेदक को पत्र कमांक 575 दिनांक 18–3–2019 से सूचित का दिया गया था कि सूचना से सम्बन्धित प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने हेतु नियमानुसार लेखा शाखा में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपियॉ प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में पत्र कमांक 1200 दिनांक 23–4–2019 को पुनः प्रति सूचनार्थ दी गई है किन्तु सूचना साधारण डाक से दी गई है तथा पत्र में यह भी स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि सूचना के कितने पृष्ठ है तथा कितनी राशि जमा करवाई जावे। माननीय सूचना आयोग राज0 जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सूचना उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में स्पष्ट पत्र लिखते हुए रजि0 डाक से आवेदक को सूचित किया जावे।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय ... टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner